

1102

स्थायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - किसवाहीडा)

श्रावणी सेवा शिविर-2025



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 830 तारख दिनांक 09/10/2025 निर्णय दिनांक 09/10/25

|         |  |                   |  |                         |   |
|---------|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| क्र.सं. | नाम- ग्राम                               | खान               | रिपोर्ट  |                         | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश   |
| 1       | प्राडशियावास<br>36<br>सिद्धपुरा          | 86                | महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। | वर्तमान प्रविष्टी       | वर्तमान प्रविष्टी   |
|         |  |                   | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर   | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया   | तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>प्राडशियावास 36, प.ह. भिखवाही</u> खातासं. <u>86</u> में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। |
|         | हस्ताक्षर पटवारी <u>Pravali Patawari</u> | हस्ताक्षर निरदावर | हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार  | पदेन सहायक कलक्टर कपासन |   |
|         | पटवारी <u>असवाहीडा</u>                   | <u>असवाहीडा</u>   |  |                         |   |

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल किसवाहीडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन